राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी:-

1. श्री राम सुन्दर दास - पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार।
2. श्री दूलाराम - पूर्व सदस्य, छठी एवं सातवीं राजस्थान विधान सभा

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि.109 दिनांक 26 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक (सेवा) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, आउटपुट बजट वर्ष 2013-2014 एवं आउटकम बजट वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे।

(II) श्री यूनुस खान, परिवहन मंत्री , कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

(III) श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड़ का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

(IV) श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे।

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन

का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें
प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।"

जारी..2..

5. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) डॉ0 मंजू बाघमार, सदस्य, विधान सभा, जायल (नागौर) में पेयजल आपूर्ति की गंभीर समस्या के कारण नागौर से फरडौद पर अस्थायी पाईप लाईन जोड़ने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के वन क्षेत्र में बसी कॉलोनियों व गांवों का भू-रूपान्तरण कर स्वामित्व प्रदान करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(3) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र भीम के सी.एच.सी. भीम व देवगढ़ में रिक्त चल रहे कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों के पदों को तत्काल भरने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(4) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

I- किशनगढ़ (अजमेर) स्थित श्रम निरीक्षक कार्यालय को आगामी वित्तीय वर्ष 2015-2016 सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में क्रमोन्नत कर समुचित स्टाफ लगाने बाबत्; एवं

II- किशनगढ़ (अजमेर) के निम्बार्कतीर्थ सलेमाबाद से मेगा हाईवे (किशनगढ़-हनुमानगढ़) मार्ग तक के 10 किलोमीटर सड़क मार्ग के चौडाईकरण एवं डामरीकरण कराने बाबत् ।

(5) श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी:-

I- विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्रामीण क्षेत्र में उच्च जलाशय की टंकी बनाकर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत्; एवं

II- बांदीकुई राजेश पायलट कॉलेज में खेल मैदान को विकसित करने बाबत्।

(6) श्रीमती अमृता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी:-

I- जालोर विधान सभा क्षेत्र के सायला उपखण्ड में महाविद्यालय खोलने बाबत्; एवं

II- जालोर विधान सभा क्षेत्र के सायला उपखण्ड में जीवाना ग्राम में पुलिस चौकी खुलवाने बाबत्।

(7) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

I- सामान्य चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ में ट्रोमा सैन्टर की स्थापना बाबत्; एवं

II- रेणका नाका लघु सिंचाई परियोजना, तहसील-निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ की स्वीकृति जारी कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने बाबत्।

6. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2014-2015 एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2010-2011 का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वर्ष 2014-2015 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें एवं वर्ष 2010-2011 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे।

जारी..3..

7. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक, निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 2015-2016 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।
2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2015-2016 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।
3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2015-2016 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।
4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

8. वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, 2015-2016, प्राक्कलन समिति "क" , 2015-2016, प्राक्कलन समिति "ख", 2015-2016 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।"

जारी..4..

9. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016 पर सामान्य वाद-विवाद होगा।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पृथ्वी राज
विशिष्ठ सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 09 मार्च, 2015